हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 79

मंगलवार 7 अप्रैल, 2015/17 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11.00 AM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2009 से 2011, 2013 से 2017, 2019 व 2020 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 2008, 2012 और 2018 का उत्तर सभा पटल पर रखा समझा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 2021 से 2050 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 883 से 900 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मानननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने गत रात्रि कुल्लू जिला के बन्जार उप-मंडल में हुई एक भीषण आग की घटना के बारे वक्तव्य दिया।

श्री कर्ण सिंह व श्री महेश्वर सिंह, माननीय सदस्यों के आग्रह पर कि आग लगे मन्दिर व गांववासियों के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए तथा इस प्रकार के प्राचीन मंदिरों को छोटे फॉयर एकस्टिंग्युशर भी रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत देने का प्रावधान करें, पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहाः-

"क्योंकि यह सारे मंदिर लकड़ी के बने हुए हैं, इसलिए अगर इनमें फॉयर एकस्टिंग्युशर लगेंगे तो निश्चित तौर पर उनसे आग से बचाव हो सकता है। इसलिए इसके बारे में विचार किया जाएगा। जहां तक मंदिर के पुनर्निर्माण की बात है, मैं पहले कह चुका हूं कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकार खुले दिल से आर्थिक सहायता करेगी।"

12-08 PM

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि 29 जनवरी, 2015 को जो दुखद घटना घटी और भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर जो हमला हुआ आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया है कि matter is under investigation. इस पर विपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमर धूमल ने कहाः-

"हम इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रोटैस्ट कर रहे हैं कि जो भयंकर दुर्घटना हुई है उसके कारण जो नुकसान पहुंचा है, उस व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार को उठाना चाहिए और कानून-व्यवस्था को खराब करने के लिए जो दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए। हम इस प्रोटैस्ट में सदन से वॉक ऑऊट कर रहे हैं।"

(विपक्ष ने विरोध स्वरूप 12.15 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।)

12-15 PM

मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने 16 मार्च, 2015 को लगे तारांकित प्रश्न सख्या 1533 के बारे वक्तव्य दिया।

12-23 PM

2. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(2) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 40वां वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए(3)-1/2014 दिनांक 29.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.10.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

12.25 PM

3. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः

श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष ने कार्य-सलाहकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार ।

12-26PM

4. विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015

का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **माननीय शहरी विकास मन्त्री**, ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री**, ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

सदन की बैठक अपराह्न 12.30 बजे बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।